



UPBJ010031602024

न्यायालय **Spl. Judge (E.C.Act), Bijnor**

पीठासीन अधिकारी- (Sri Talewar Singh), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06475

विशेष सत्र परीक्षण संख्या-634/2024

सरकार बनाम रामअवतार आदि

मुकदमा अपराध संख्या-702/2021

धारा-135 विद्युत अधिनियम।

थाना-एटी पावर थेपट, जनपद, बिजनौर।

दिनांक:-13-04-2026

आदेश

आज लोक अदालत में पत्रावली पेश हुयी, पुकार कराई गयी।

अभियुक्तगण **दिनेश व रामअवतार** की ओर से धारा-152 विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र क-10 प्रस्तुत करते हुये संक्षेप में कहा गया कि प्रार्थी ने उक्त मुकदमे से संबंधित शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण व विद्युत बिल जमा कर दिया है, प्रार्थी पर कोई बकाया नहीं है। प्रार्थी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जाए।

पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित विभाग की ओर से प्रस्तुत विभागीय आख्या क-11 में भी यह कहा गया है कि उपरोक्त वाद से संबंधित समस्त राजस्व निर्धारण व शमन शुल्क/बकाया बिल जमा कर, पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया है, जिस कारण वाद उपरोक्त के धारा-152 ई0सी0 एक्ट के अन्तर्गत निस्तारित होने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण की ओर समन शुल्क राजस्व निर्धारण जमा किया जाना बताया गया है। संबंधित विभाग द्वारा भी जमा होना बताया गया है।

समन के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध कार्यवाही धारा-152 विद्युत अधिनियम के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-300 के अन्तर्गत दोषमुक्त के समतुल्य समझा जायेगा।

अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध वाद उपरोक्त की कार्यवाही धारा-152 विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत समाप्त की जाती है। अभियुक्ता उपरोक्त को दोषमुक्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(तालेवर सिंह)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, (ई0सी0 एक्ट)
बिजनौर।